अध्याय

25

ऋण एवं अग्रिम

(Loan and Advances)

1. प्रस्तावना—

राज्य शासन स्तर से पूर्व में दो प्रकार के अग्रिम शासकीय सेवक को दिए जाते थे, जिसमें जो ब्याज रहित अग्रिम होता है, उसे अग्रिम कहते हैं तथा जो ब्याज सहित होता था, उसे ऋण कहते थे। राज्य शासन द्वारा ब्याज सहित ऋण देना वर्ष 2004 से बन्द कर दिया गया है। इसके स्थान पर शासन द्वारा शासकीय सेवकों को बाह्य संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने की नई योजना दिनांक 1-6-2004 से लागू की गई।

2. ब्याज रहित अग्रिम—

राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों को निम्न मदों में ब्याज रहित अग्रिम दिया जाता है। पूर्व में अनाज अग्रिम भी इसी के अधीन दिया जाता था, जिसे वर्तमान में बन्द कर दिया गया है—

(1) स्थानान्तरण पर अग्रिम,

(2) स्थानान्तरण/दौरों पर अग्रिम,

(3) त्यौहार अग्रिम,

(4) गृह नगर की यात्रा हेतु अग्रिम,

(5) विदेश प्रशिक्षण पर जाने वाले शासकीय सेवकों को अग्रिम,

(6) चिकित्सा अग्रिम।

स्पष्टीकरण—राज्य शासन द्वारा अनाज अग्रिम वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 331/एफ 1003491/वित्त/नियम/चार/2012, दिनांक 19-10-2012 द्वारा अनाज अग्रिम को समाप्त कर दिया गया।

(1) स्थानान्तरण पर वेतन/यात्रा अग्रिम—यह अग्रिम किसी शासकीय सेवक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होने की स्थिति में नए गंतव्य पर जाने के लिए दिया जाता है। इस अग्रिम में एक माह का वेतन, शासकीय सेवक एवं उसके आश्रितों का नए गंतव्य पर पहुँचने का वास्तविक किराया तथा समान का परिवहन व्यय सम्मिलित होता है। वेतन अग्रिम की राशि वेतन से तीन समान किश्तों में तथा यात्रा अग्रिम का समायोजन एक मुश्त यात्रा देयक से किया जावेगा। यह अग्रिम कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।

टिप्पणी—(1) आपसी स्थानान्तरों में अग्रिम की पात्रता नहीं होगी।

अध्याय

26

शासकीय सेवकों को चिकित्सा सुविधा

(Medical Benefits to Government Servants)

1. प्रस्तावना—

राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ-21-05/2010/नौ/55 दिनांक 14 मार्च 2013 द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013 लागू किया गया है जिसका प्रमुख लक्ष्य शासकीय सेवकों को चिकित्सा सुविधा प्रक्रिया को विनियमित करना है।

2. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013—

[1]स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ 21-05/2010/नौ/55, दिनांक 14 मार्च, 2013—राज्य शासन के अधीन नियोजित कर्मचारियों की चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार के विनियमन के लिये नियम बनाये गये हैं जो इस प्रकार हैं :—

1. लागू होना—(1) ये नियम किन पर लागू होंगे :—

(क) राज्य शासन के नियंत्रणाधीन समस्त शासकीय सेवक, जब वे शासकीय कर्तव्य पर हों या प्रतिनियुक्ति पर हों या प्रशिक्षणाधीन हों या छुट्टी पर हों या निलम्बनाधीन हों या छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर पदस्थ हों,

(ख) संविदा के आधार पर नियोजित कर्मचारी,

(ग) प्रशिक्षणाधीन या कर्तव्यस्थ नगर सैनिक,

(घ) आकस्मिकता स्थापना से वेतन पाने वाले पूर्णकालिक कर्मचारी,

(ङ) समस्त विभागों या राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं में मासिक वेतन पर निरंतर नियोजित कार्यभारित स्थापना (वर्क-चार्ज एस्टैब्लिसमेंट) के सदस्य,

(च) अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ विरुद्ध भारत संघ, ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 1752 के प्रकरण में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए, विधि विभाग द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों/जारी आदेशों/उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए, न्यायिक अधिकारी।

1. छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 3-4-2013, पृष्ठ 267-268(19) पर प्रकाशित। दिनांक 3-4-2013 से प्रभावशील।

अध्याय

4

अनुकम्पा नियुक्ति
(Compassionate Appointment)

1. अनुकम्पा नियुक्ति—

अनुकम्पा नियुक्ति, वह नियुक्ति है जिसमें किसी शासकीय सेवक के आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद, उस परिवार की संभावित वित्तीय कठिनाईयों को दूर करने के दृष्टि से उस शासकीय सेवक, जिसकी मृत्यु हुई है, के विधिमान्य किसी आश्रित को शासकीय सेवा में नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति Dying-in-Harness नियमों के अधीन की जाती है।

टिप्पणी—(1) अनुकम्पा नियुक्ति देने का मुख्य उद्देश्य किसी परिवार को उसके रोजी रोटी कमाने वाला व्यक्ति के आकस्मिक निधन के कारण होने वाली आर्थिक कठिनाई का तत्काल निराकरण है। अत: अनुकम्पा नियुक्त शीघ्रातिशीघ्र दी जानी चाहिए एवम इसमें विलंब नहीं किया जाना चाहिए। यह टिप्पणी उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायालयीन प्रकरण सुषमा गोसाई वि. भारत संघ प्रकरण में दी गई है।

(2) किसी आवेदक परिवार को परिवार पेंशन एवं पेंशन से संबंधित देय स्वत्वों का भुगतान किया जाना अनुकंपा नियुक्ति रोके जाने का कोई आधार नहीं है। [स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वि. राम पियारे, (2001) 2 UPLBEC 1597 (All)]

(3) अनुकम्पा नियुक्ति दिया जाना सामान्य नियमों के अधीन एक अपवाद है। यह मात्र प्रश्नगत परिवार को वित्तीय कठिनाई से दूर करने हेतु दी जाती है। यह किसी का वैधानिक अधिकार नहीं है। [हरियाणा विद्युत बोर्ड वि. नरेश तंवर 1996(2) JT (SC) 542]

(4) मात्र शासकीय सेवक का निधन ही, अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस परिवार की वित्तीय एवं आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण होती है जिसका निधन हुआ है। अत: अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने के पूर्व उस परिवार की वित्तीय स्थिति का भलीभांति संज्ञान कर लेना चाहिए। [उमेश कुमार अग्रवाल नागपाल वि. स्टेट बैंक ऑफ हरियाणा, 1994 (4) SSC 138]

(5) अनुकम्पा नियुक्ति तत्काल दिए जाने का कई अर्थ होता है। लंबी अवधि बीत जाने के बाद उसका कोई उद्देश्य नहीं रहता, अत: नहीं दिया जाना चाहिए। [हरियाणा विद्युत बोर्ड वि. नरेश तंवर, 1996 (2) JT (SC) 542]

(6) अनुकम्पा नियुक्ति हेतु राज्य द्वारा स्थापित नियमावली से भिन्न जाकर मानवीय दृष्टिकोण एवं सहानुभूति के आधार पर उच्च न्यायालय को निर्देश नहीं देना चाहिए। [हिमाचल प्रदेश राज्य वि. जफली देवी, 1995(5) SCC 304]

अध्याय

52 नवीन अंशदायी पेंशन योजना, 2004

(New Contributory Pension Scheme, 2004)

1. नवीन अंशदायी पेंशन योजना, 2004—

पूर्वस्थापित पेंशन योजना में बदलाव करते हुए नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 1 नवम्बर 2004 से लागू की गई है, इसकी मुख्य बातें इस प्रकार है—

(1) यह योजना इस दिनांक के बाद (1.11.2004) सरकारी सेवा में भर्ती हुए सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारी पर लागू होगा।

(2) नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ, यह योजना, आकास्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों एवं कार्यभारित सेवा स्थाई/अस्थाई कर्मचारियों की भी लागू हो। किन्तु, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा नियुक्तियों तथा शिक्षाकर्मियों में लागू नहीं है।

(3) दिनांक 1.11.2004 को या इसके बाद नियुक्त सरकारी अधिकारी/कर्मचारी पर, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 तथा छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955 के उपबंध लागू नहीं होंगे।

(4) इस योजना में कर्मचारी अपने मूल वेतन तथा महँगाई भत्ता के योग का 10% हिस्सा अंशदान के रूप में जमा करेगा तथा शासन भी पेंशन निधि में इतनी ही राशि नियोजक हिस्से के रूप में जमा करेगी।

(5) इस योजना में शामिल होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को एक स्थाई रिटायरमेन्ट खाता क्रमांक आवंटित होगा। यह खाता क्रमांक नेशनल सिक्यूरिटी डिपाजिटरी लि. (NSDL) द्वारा आवंटित किया जावेगा।

(6) प्रत्येक शासकीय सेवक सेवा में प्रविष्ट होते ही प्ररूप 1 में स्वयं से सम्बंधित जानकारी अपने कार्यालय प्रमुख को देंगे।

(7) स्थाई रिटायमेन्ट खाता (Permanent Retirement Account Number) नम्बर आहरण एवं संवितरण अधिकारी के द्वारा लिखित में सम्बंधित कर्मचारी को दिया जावेगा तथा यह उसके सेवा पुस्तिका में अंकित कर दी जावेगी।

(8) यह स्थाई रिटायमेन्ट खाता क्रमांक पूरे सेवाकाल के लिए एक ही होगा, चाहे वह प्रतिनियुक्ति पर बाह्य सेवा में पदस्थ हो जावे अथवा अन्यत्र कहीं स्थानान्तरण पर पदस्थ होने पर भी।

अध्याय
79

यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/उत्तरजीवियों हेतु क्षतिपूर्ति योजना

(Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/other Crimes)

रिट पिटीशन (सी) क्र. 565/2012 निपुन सक्सेना एवं अन्य विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य, आदेश दिनांक 05-09-2018 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में यह निर्देश अभिकथित किया जाता है कि "नालसा की यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/उत्तरजीवियों के लिये क्षतिपूर्ति योजना 2018", पाक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 33(8) के अधीन यौन अपराध से पीड़ित बच्चों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिये विशेष न्यायालय के दिशा निर्देश के रूप में कार्य करेगी तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 357क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, केन्द्र सरकार के समन्वयन से राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ऐसी पीड़ित महिलाओं या उनके आश्रितों, जिन्हें यौन हमले (यौन उत्पीड़न) या अन्य अपराधों के कारण कोई हानि या क्षति हुई हो, के पुनर्वास के संबंध में निधि का प्रावधान करने हेतु निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्—

योजना

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**—(1) यह योजना **यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/उत्तरजीवियों के लिए क्षतिपूर्ति योजना, 2018** कहलायेगी।

(2) यह दिनांक 2 अक्टूबर, 2018 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

(3) यह पीड़ित और उसके आश्रित (ों), जिसे कारित अपराध के परिणामस्वरूप, यथास्थिति, हानि या क्षति हुई हो और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता हो, को लागू होगी।

2. **परिभाषाएँ**—(1) इस योजना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) "**संहिता**" से अभिप्रेत है दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2);

(ख) "**आश्रित**" से अभिप्रेत है पीड़िता के पति, पिता, माता, दादा-दादी, अविवाहित पुत्री और अवयस्क बच्चे, जैसा कि राज्य विधिक

---

1. छ.ग. शासन, गृह (पुलिस) विभाग अधिसूचना क्र. एफ 3-67/2018/गृह-दो, दिनांक 4-2-2019; छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 13-2-2019 को पृष्ठ 91-92(6) पर प्रकाशित।

माह	मासिक अंशदान	वापसी	लगातार मासिक अंशदान
अक्टूबर	2000/-	—	14000/-
नवम्बर	2000/-	—	16000/-
दिसम्बर	2000/-	—	18000/-
जनवरी	2000/-	—	20000/-
फरवरी	2000/-	—	22000/-
मार्च	2000/-	—	24000/-
योग	24000/-	—	156,000/-

(i) खुल्ती शिल्क (पूर्वगामी वर्ष तक कुल अंशदान) = रु. 350,000/-

(ii) चालू वर्ष में जमा = रु. 24,000/-

(iii) चालू वर्ष में ब्याज (रु. 28550+1575+1150) = रु. 31,295/-

योग = रु. 4,05,295/-

चालू माह में आहरित राशि = रु. 35000/-

चालू वर्ष के अन्त में कुल अंशदान (बंद शिल्क) = रु. 370,295/-

9. निधि से अग्रिम—

(1) स्वीकृत कर्त्ता अधिकारी स्व विवेक से, अभिदाता को अस्थाई अग्रिम, जो कि तीन माह के वेतन से अधिक अथवा जमा राशि के आधे से आधिक न हो, निम्न प्रयोजनों में से किसी एक के लिए स्वीकृत कर सकता है—

(i) अभिदाता या अभिदाता के किसी आश्रित के लम्बी बिमारी के उपचार हेतु।

(ii) अभिदाता या अभिदाता की पत्नी की प्रसूति हेतु बशर्ते अभिदाता को दो से अधिक बच्चे न हो।

(iii) भारत के बाहर अभिदाता या अभिदाता के किसी आश्रित को शिक्षा हेतु यात्रा के लिए।

(iv) अभिदाता के या उसके परिवार के किसी सदस्य के तकनीकी शिक्षा के व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु।

(v) अभिदाता के हैसियत के अनुसार सामायिक कार्यों जैसे विवाह या अत्येष्टि इत्यादि के व्यय के लिए।

(vi) अशंदाता के हित शासकीय धन की क्षतिपूर्ति हेतु।

(vii) फौजदारी मामलों में अशंदाता के बचाव हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए।

(viii) अंशदाता को स्वयं को दोष सिद्ध करने हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए।

अध्याय 51

समूह बीमा योजना एवं परिवार कल्याण निधि योजना

(Group Insurance Scheme and Family Benefits Fund Scheme)

1. समूह बीमा योजना—

(1) योजना की प्रभावशीलता—राज्य शासन के समस्त कर्मचारियों के लाभार्थ यह योजना, राज्य शासन द्वारा, दिनांक 1.7.85 से लागू की गई। इस योजना से पूर्व, राज्य परिवार कल्याण निधि योजना 1974 लागू थी। राज्य शासन द्वारा लागू की समूह बीमा योजना में यह व्यवस्था दी गई कि जो कर्मचारी, इस नवीन योजना का वरण नहीं किए हैं, वे सेवानिवृत्ति तक या आगे भी इस नई योजना का वरण न करने की स्थिति में, पुरानी योजना के ही सदस्य बने रहेंगे तथा उनके दावे, उस पुरानी योजना के नियमों के अधीन ही निपटाए जावेंगे।

(2) समूह बीमा योजना की सदस्यता—(i) यह योजना, उन सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्यतः लागू होगी, जो इस योजना को अधिसूचित किए जाने के बाद शासकीय सेवा में आए है।

(ii) योजना के सदस्य के रूप में, नामांकित सेवा के प्रत्येक सदस्य को, उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा फार्म 2 में उसके नामांकित दिनांक को और उसके वेतन से अंशदान के रूप में की जाने वाली कटौती को सूचित किया जाएगा। इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जावेगी। इसकी सूचना चार प्रतियों में बनाई जावेगी। एक प्रति शासकीय सेवक को, एक प्रति संचालक जीवन बीमा विभाग को, एक प्रति सम्बंधित विभागाध्यक्ष को तथा एक प्रति सेवा पुस्तिका में चिपकाई जावेगी।

[योजना का नियम 4(4)]

(3) लेकिन योजना के वर्ष-दिवस से भिन्न किसी माह में सेवा प्रविष्ट होने वाले कर्मचारियों के वेतन से अभिदान की राशि 30% राशि की कटौती तत्काल प्रारम्भ कर देनी चाहिए ताकि समूह बीमा का लाभ कर्मचारी को सुनिश्चित किया जा सके।

[योजना का नियम 6]

(4) योजना में अंशदान की दर—(i) जब योजना को दिनांक 1.7.85 से लागू किया गया तब योजना में अंशदान की दर निम्नानुसार थी—